विश्वभारती

अधिसूचना

विषय : विश्वभारती के उपाचार्य (कुलपति) के रूप में डॉ. प्रोवीर कुमार घोष की नियुक्ति।

सर्व संबंधित को सूचित किया जाता है कि शिक्षा मंत्रालय, उच्चतर शिक्षा विभाग, द्वारा अवर सचिव सुश्री जेनिफर तिर्की की ज्ञापन संख्या एफ. एन. 28/2023 सी यू. ।।। दिनांक 18.03.2025 के द्वारा सूचित किया जाता है कि भारत के माननीय राष्ट्रपति ने, विश्वभारती के परिदर्शक की हैसियत से, आई सी ए आर – एन आई बी एस एम, रायपुर, छत्तीसगढ़ के पूर्व निदेशक एवं कुलपति डॉ. प्रोवीर कुमार घोष, को विश्वभारती अधिनियम 1951 की विधियों के तहत संविधि 3 के अनुसार उनके पदभार ग्रहण करने की तारीख से पाँच वर्ष की अवधि तक, अथवा सतर वर्ष की आयु प्राप्त करने तक, जो भी पहले हो विश्वभारती के उपाचार्य (कुलपति) के रूप में नियुक्त किया जाता है।

विश्वभारती के उपाचार्य (कुलपति) के रूप में डॉ. प्रोवीर कुमार घोष को सेवा के नियम और शर्तें वही होंगे जो विश्वविद्यालय के अधिनियम, संविधि एवं अध्यादेश में निर्धारित किए गए हैं।

संलग्नक :

अवर सचिव, सूश्री जेनिफर तिर्की के पत्रांक संख्या एफ. एन. 2-8/2023 सी यू. ।।। दिनांक 18.03.2025 की प्रति

हस्ता/-

संदर्भ सं. आरईजी/अधि./156/438/2024-25

कुलसचिव (कार्यकारी)

दिनांक: 19/03/2025

विश्वभारती

सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रतिलिपि :

1. विश्वभारती के सभी भवनों के अध्यक्ष/प्रिंसिपल/निदेशक
2. विश्वभारती कर्मसमिति के सभी सदस्य
3. अकादमिक एवं प्रशासनिक विभाग केंद्र/कार्यालय/अनुभाग/इकाई/प्रकोष्ठ आदि के प्रधान/प्रभारी
4. संयुक्त कुलसचिव एवं कुलपति के गोपनीय सचिव
5. कुलसचिव के निजी सहायक, विश्वभारती
6. विश्वविद्यालय वेबमास्टर – विश्वविद्यालय वेबसाइट पर अपलोड करें।
7. राजभाषा प्रकोष्ठ - हिंदी में अनुवाद कर विश्वविद्यालय वेबसाइट पर अपलोड करवाने की व्यवस्था करें।